पताका–अ

प्रश्न सं. [क्र. 2018]

माननीय विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न कमांक 2018

स0क0	प्रश्न	उत्तर
01	(क) जिला स्तरीय व नगर स्तरीय शांति समिति के गठन के क्या प्रावधान/नियम है।	जिला स्तरीय व नगर स्तरीय शान्ति समितियों के गठन के सम्बन्ध में म0प्र0 शासन गृह विभाग (सी अनुभाग) के परिपत्र क्रमांक एफ –44–26/87/सी–1 भोपाल दिनांक 08 जुलाई 1987 के द्वारा निर्देश जारी किए गए है, जिसके अनुसार शान्ति समिति में निम्नानुसार सदस्य होते है **1–जिला स्तरीय शान्ति समिति के सदस्य :–** (1) स्थानीय सांसद (2) जिले के विधायक एवं नगर पालिका के अध्यक्ष (3) राजनैतिक दलों के जिला स्तर के अध्यक्ष / सचिव (4) धार्मिक सम्प्रदायो के प्रमुख (5) व्यापारिक संगठन/एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव (6) ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिनको जिला अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक उचित समझे **2–थाना स्तरीय शान्ति समिति के सदस्य :–** (1) स्थानीय विधायक (2) क्षेत्रीय पार्षद अथवा जनपद पंचायत अध्यक्ष (3) थाना क्षेत्र में रहने वाले सभी धर्मो के प्रमुख (4) राजनैतिक दलों के प्रमुख (5) ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिनको अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस उचित समझे (उक्त परिपत्र की छायाप्रति संलग्न है)
02	(ख) शांति समिति में सदस्य के रूप मे सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की पात्रता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है ? तथा किन परिस्थितियों में व्यक्ति इस समिति से अयोग्य होता है ? एवं उक्त सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ?	शान्ति समिति में सदस्य के रूप में सभी वर्गो, धर्म, सम्प्रदायों तथा व्यवसाय से जुड़े बेदाग एवं निष्पक्ष छवि वाले लोगों को शामिल किया जाता है । इनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार शान्ति समिति के सदस्यों के निष्क्रिय होने पर उन्हें हटाए जाने के प्रावधान है। शान्ति समिति के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है।
03	(ग) धार विधानसभा में कितनी शांति समितियां किस–किस ग्राम/नगर में सक्रिय है ? तथा धार जिला मुख्यालय की शांति समिति का गठन कब किया गया था ? एवं इसमें पिछले दस वर्षो मे कब–कब सदस्यों को सम्मिलित/विलोपित किया गया है?	धार विधानसभा अन्तर्गत जिला मुख्यालय धार, थाना सादलपुर, थाना पीथमपुर, थाना सागोर एवं थाना तिरला में शान्ति समितियां सक्रिय है। धार जिला मुख्यालय की शान्ति समिति का गठन वर्ष 1987 में किया गया था। पिछले दस वर्षो में वर्ष 2016 तथा 2019 में शान्ति समिति में नए सदस्यों को सम्मिलित किया गया है।
04	(घ) क्या धार विधानसभा की इन शांति समितियों में लम्बे अंतराल पश्चात जिला प्रशासन, क्षेत्र में सक्रिय तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु कवायद करेगा ?	धार विधानसभा अन्तर्गत धार जिला मुख्यालय की शान्ति समिति के पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराई जा रही है।

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, सी (1)
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट - "अ"

मध्यप्रदेश शासन गोपनीय

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

एफ क्रमांक 44-26/87/सी-1 भोपाल, दिनांक 8 जुलाई, 87

प्रति,

जिलादण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

= = =

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि जिला स्तरीय एवं थाना स्तरीय शान्ति समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाय:-

जिला स्तरीय शान्ति समितियां

(1) स्थानीय सांसद ।
(2) जिले के विधायक तथा नगरपालिका एवं नगरनिगम के अध्यक्ष ।
(3) राजनैतिक दलों के जिला स्तर के अध्यक्ष अथवा सचिव ।
(4) धार्मिक सम्प्रदायों के प्रमुख ।
(5) व्यापारिक संगठन/एसोसियेशन के अध्यक्ष/सचिव ।
(6) ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिनको जिलाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक उचित समझे ।

थाना स्तरीय शान्ति समितियां

(1) स्थानीय विधायक ।
(2) क्षेत्रीय पार्षद अथवा जनपद पंचायत अध्यक्ष ।
(3) थाना क्षेत्र में रहने वाले सभी धर्मों के प्रमुख ।
(4) राजनैतिक दलों के प्रमुख ।
(5) ऐसे प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता जिनको अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस उचित समझे ।

अतः उपर्युक्तानुसार शान्ति समितियों का पुनर्गठन करें ।

हस्ता/-

विशेष सचिव

TC

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, सी (1)
मंत्रालय, भोपाल